

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर


क्रमांक / 451 / खनिज / रेत (रिवर्स ऑक्शन) / 2019-20

कांकेर, दिनांक 27/09/2019

::00 आदेश 00::

जिले में गौण खनिज साधारण रेत खदान समूहों का आवंटन निलामी (रिवर्स ऑक्शन) के माध्यम से किये जाने हेतु छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं विनियमन) नियम 2019 के नियम 6 के तहत निविदा आमंत्रण सूचना event no. KANKER-01-19-08-2019 जारी किया गया था छ.ग. राजपत्र दिनांक 20.09.19 के माध्यम से छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं विनियमन) नियम 2019 के नियमों में किये गये संशोधनों के अनुरूप नये सिरे से निविदा जारी किये जाने हेतु पूर्व में जारी निविदा event no. KANKER-01-19-08-2019 को छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं विनियमन) नियम 2019 के नियम 6(4)(छ:) के अनुसार निरस्त किया जाता है ।

आवेदक / बोलीदारों निरस्त किये गये निविदा event no. KANKER-01-19-08-2019 हेतु जमा किये गये समस्त दस्तावेज एवं प्रक्रिया शुल्क के चालान को किसी भी कार्यालयीन दिवस में जिला कार्यालय (खनिज शाखा) कांकेर से वापस प्राप्त कर सकते हैं, वापस प्राप्त की गई चालान उसी बोलीदार द्वारा पुनः उसी रेत खदान समूह हेतु टेण्डर प्रस्तुत किये जाने पर मान्य होगा ।



कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ.क्रमांक / 452 / खनिज / रेत (रिवर्स ऑक्शन) / 2019-20

कांकेर, दिनांक 27/09/2019

प्रतिलिपी :-

1. सचिव , छ.ग. शासन , खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, अटल नगर जिला रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. संचालक , भौमिकी तथा खनिकर्म , इन्द्रावती भवन , अटल नगर , जिला रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- 3- अपर कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति कांकेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
4. D.I.O , NIC Distt: Kanker को जिला स्तरीय पोर्टल kanker.gov.in पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ ।
5. जिला जनसंपर्क कार्यालय , जिला उत्तर बस्तर कांकेर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ ।
6. जिला कोषालय अधिकारी , कांकेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
7. खनि अधिकारी, जिला छ.ग. को नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ ।


कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर
27/09/19